



जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित
प्रधान कार्यालय
संजीत रोड, इन्दिरा सहकारी काम्प्लेक्स
मंदसौर (म.प्र.) पिन 458001
ई-मेल : jskbmids@rediffmail.com
फैक्स : 07422-256154
टेलीफोन : 255563, 255547, 255951

Dist. Central Co-Operative Bank Mydt.
Head Office
Sanjeet Road Indira Sahakari complex
Mandsaur (M.P.) Pin 458001
E-mail: jskbmids@rediffmail.com
Fax : 07422-256154
Telephone : 255563, 255547, 255951

क्र./लेखा/2024-25/3843

मंदसौर दिनांक-31/12/2024

प्रति,

शाखा प्रबंधक,
शाखा (समस्त)।

विषय:- सावधि अमानतों की ब्याज दरों के पुनर्निर्धारण के संबंध में।
संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्र./लेखा/2023 24/2434 दि. 28.09.2023।

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा बैंक में जमा सावधि निक्षेप की ब्याज दरों का निर्धारण किया गया था। अन्य वाणिज्यिक बैंकों की प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा ब्याज दरों में पुनः संशोधन करने का निर्णय बैंक प्रशासक कमेटी की बैठक दि. 30.12.2024 अनुसार लिया गया है, जो दि. 05.01.2025 से प्रभावशील रहेगी। उक्त ब्याज दरें नवीन सावधि/अवधि समाप्त जमा सावधि अमानत के नवीनीकरण पर लागू होगी, किन्तु सावधि जमा अमानत के पुनर्निवेश पर लागू नहीं होगी। अर्थात् यदि कोई अमानतदार सावधि अमानत का पुनर्निवेश करता है तो नियमानुसार आधा प्रतिशत ब्याज का कटौती किया जावे। बैंक कर्मचारियों को घोषणा फार्म लेने के पश्चात् ही 1 प्रतिशत अधिक ब्याज का लाभ दिया जावे, अन्यथा सामान्य दर से ही ब्याज दिया जावे। नई ब्याज दर निम्नानुसार है:-

क्र.	विवरण	पूर्व प्रचलित ब्याज दर (दि. 05.10. 2023)	दि. 05.01.2025 से प्रभावशील ब्याज दर	वरिष्ठ नागरिकों हेतु दि. 05.01.2025 से प्रभावशील ब्याज दर
1	करंट अमानत	0	0	
2	सेविंग अमानत (दि. 01.09.2017 से प्रभावशील)	4.00	4.00	4.00
3	सावधि जमा अमानत			
	अ. 15 दिन से 45 दिन	4.00	4.00	4.00
	ब. 46 दिन से 90 दिन	5.00	5.00	5.00
	स. 91 दिन से 179 दिन	5.50	5.50	5.50
	द. 180 दिन से 269 दिन	6.25	6.25	6.25
	इ. 270 दिन व 364 दिन	6.75	6.75	6.75
	ई. 1 वर्ष से 399 दिन	7.00	7.00	8.00
	उ. 400 दिन हेतु	7.00	7.40	8.40
	ऊ. 400 दिन से अधिक किन्तु 2 वर्ष से कम	7.00	7.00	8.00
	ए. 2 वर्ष एवं 2 वर्ष से अधिक किन्तु 3 वर्ष से कम	7.00	7.00	8.00
	ऐ. 3 वर्ष एवं 3 वर्ष से अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम	7.00	7.00	8.00
	ओ. 5 वर्ष से अधिक एवं 8 वर्ष से कम	7.25	7.25	8.25
	औ. 8 वर्ष से अधिक 10 वर्ष हेतु	7.25	7.25	8.25
	अं. अमृत कलश अमानत योजना - 400 दिन हेतु (दि. 05.01.25 से 31.03.25 तक)	-	7.40	8.40

4. संशोधित ब्याज दरें दि. 05.01.2025 से नवीन जमा एवं अवधि समाप्त जमा के नवीनीकरण पर ही लागू होगी।

5. वरिष्ठ नागरिकों की जमा अमानतों पर पूर्व आदेश के अनुसार बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर से 1.00 प्रतिशत अधिक होगी, जो उपरोक्त सारणी के कालम क्रमांक 5 में सम्मिलित कर दर्शायी गयी हैं तथा वरिष्ठ नागरिकों हेतु उक्त ब्याज दर रु. 10,000/- एवं उससे अधिक की मियादी/डबल डिपॉजिट पर तथा 1 वर्ष एवं उससे अधिक की अवधि की मियादी/डबल डिपॉजिट पर ही प्रभावशील होगी।
6. बैंक की संचालक मण्डल की बैठक दि. 15.10.12 के संकल्प क्र. 35(12) के अनुसार म्यादी अमानत/डबल डिपॉजिट एवं निरंतर बचत अमानत पर जमा अमानत की मूल राशि का अधिकतम 90 प्रतिशत तक ऋण दिया जा सकेगा।
7. म्यादी तारण लिमिट या अमानत के तारण ऋण पर निर्धारित ब्याज दर से 1 प्रतिशत अधिक ब्याज लिया जावे तथा म्यादी अमानत/म्यादी लिमिट की अवधि पूर्ण होने पर तत्काल राशि का जमा खर्च करें या पुनः तारण ऋण/लिमिट को रिन्युअल किया जावे, जिससे तारण ऋण कालातीत नहीं हो सके।
8. अमानतों के तारण पर दिये गये ऋण पर मासिक ब्याज अपडेट किया जावे।
9. यदि कोई अमानतदार अपनी सावधि जमा अमानत का अवधि पूर्व भुगतान प्राप्त करना चाहता है तो जितने समय के लिये अमानत बैंक में जमा रही उस अवधि हेतु तत्समय प्रचलित ब्याज दर पर 0.50 प्रतिशत दण्ड ब्याज लिया जावेगा।
10. आयकर के नियमानुसार दि. 04.04.2019 से ब्याज पर टीडीएस काटे जाने की सीमा रु. 40,000/- की गई है। तदनुसार कार्यवाही संपादित की जावे एवं काटी गई टीडीएस की राशि चालान से आयकर विभाग में अगले माह की 5 तारीख पूर्व जमा कराई जावे एवं चालान की छायाप्रति आयकर सलाहकार को प्रस्तुत करें अथवा 15एच या 15जी फार्म ऑनलाईन प्रारूप में भेजा जावे तथा फार्म भरने से पूर्व अमानतदार से हस्ताक्षरयुक्त सहमति ली जावे। यदि इस संबंध में कोई त्रुटि होती है तो संबंधित शाखा प्रबंधक का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा तथा होने वाले परिणाम तथा आयकर विभाग द्वारा टीडीएस की राशि विलम्ब से जमा करने पर पेनल्टी आदि करने पर शाखा प्रबंधक स्वयं जवाबदेह होंगे।
11. किसी भी प्रकार का अमानत खाता खोलते समय नामिनी फार्म (डीए 1) भरवाया जावे तथा सभी अमानत खातों में नामिनी टीसीएस सिस्टम में भी लिंक किया जावे, जिससे अमानतदार की मृत्यु के पश्चात् दावा भुगतान में परेशानी ना हो एवं 50,000/- से अधिक की म्यादी/डबल डिपॉजिट पर आयकर का पेन नम्बर प्राप्त किया जावे।
12. अमानतदार/संस्थान का म्यादी/डबल डिपॉजिट पर ब्याज राशि रु. 2,50,000/- या उससे अधिक बनता है तो आयकर काटा जाना अनिवार्य है। वहां 15एच/जी फार्म लागू नहीं होगा तथा कोई संस्थान आयकर नहीं काटने हेतु आयकर विभाग से पत्र प्रस्तुत करता है तो, आयकर सलाहकार से संपर्क कर आवश्यक कार्यवाही करें।
13. ऐसी मदें जिन पर सावधि अमानत की दर पर ब्याज दिया जाना है, उन मदों पर भी उक्तानुसार ब्याज दर लागू होगी (रिजर्व फण्ड संस्था, केश सिक्यूरिटी आदि)।
14. शाखा स्तर पर अमानत वृद्धि हेतु अमृत कलश अमानत योजना प्रारंभ की जाकर सर्वाधिक ब्याज दर 7.40% प्रदान की जा रही है, जिसका पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जाकर शाखा स्तर पर अमानत लक्ष्यों की पूर्ति की जावे।

क्र./लेखा/2023-24/

प्रतिलिपि:-

Sunil
प्रमुख कार्यपालन अधिकारी
मंदसौर, दिनांक-

1. कलेक्टर एवं प्रशासक महोदया, बैंक की ओर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्र मंदसौर/नीमच की ओर सूचनार्थ।
3. कक्ष प्रमुख, कक्ष की ओर सूचनार्थ।

Sunil
प्रमुख कार्यपालन अधिकारी